न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 137/2013

1 रामेश्वर पुत्र मंगलाराम।
2 लालचन्द पुत्र मुरलीधर समस्त जाति कुमावत निवासीगण रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 दरिया सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी कुशलपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 शंकरलाल पुत्र मंगलाराम जाति कुमावत निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 पटवारी हल्का रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 सब रजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय दिनांक 18.10.13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर टी.आई. आवेदन बिना नम्बरी वर्ष 2013 बउनवानी दरिया सिंह बनाम रामेश्वर आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिसिंह बाजिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.8.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी दरिया सिंह ने अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 5431,5442,5419,5421,5432 से 5439,5441,5441/5811 तन ग्राम रिंगस तहसील श्रीमाधोपुर बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 5419,5421,5432 से 5439,5441,5441/5811 न तो प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी में दर्ज है न ही इन भूमियों पर प्रार्थी के कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये बिना आदेशिका पर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 5419,5421,5432 से 5439,5441,5441/5811 न तो प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी में दर्ज है न ही इन भूमियों पर प्रार्थी के कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये बिना आदेशिका पर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर